

प्र0क्र0 RCT-1032 / 2022

पु0 भितरवार वि0 गजेन्द्र

लोकअदालत राजीनामा

प्रकरण नेशनल लोक अदालत के खंडपीठ
क्रमांक 56 में प्रस्तुत।

12.11.2022

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

आरोपी गजेन्द्र द्वारा श्री हरीश अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

प्रकरण में फरियादी धीरज की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा 320(1)(2) दं.प्र.सं. फरियादी की ओर से राजीनामा करने की अनुमति दिए जाने एवं एक अन्य राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर फरियादी का आरोपी के साथ राजीनामा होना व्यक्त किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. के तहत अपराध के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। उक्त सभी धाराएं शमनीय है। प्रकरण में फरियादी द्वारा आरोपी से राजीनामा किया गया है।

उभयपक्ष की ओर से राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्णित है कि उभयपक्ष का आपसी आपस में राजीनामा हो जाने से उभयपक्ष प्रकरण को राजीनामा में समाप्त करना चाहते हैं। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर फरियादीगण ने बताया है कि आरोपीगण से उनका बिना किसी दबाव के राजीनामा हो जाने से कोई विवाद शेष न रहने से प्रकरण राजीनामा में समाप्त करना चाहता है। फरियादी की पहचान श्री हरीश अग्रवाल अधिवक्ता द्वारा की गई। फरियादी की पहचान के संबंध में फरियादी धीरज के आधार कार्ड की प्रति संलग्न है, जिससे यह दर्शित होता है कि राजीनामा करने वाला व्यक्ति ही फरियादी है।

राजीनामा लिखित, हस्ताक्षरित, विधिपूर्ण होकर सक्षम व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा पूर्वक किया जाना प्रतीत होने से राजीनामा बाद तस्दीक स्वीकार किया जाता है एवं आरोपी की पूर्व में किसी अपराध में दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख में कोई रिकॉर्ड संलग्न नहीं है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाकर आरोपी को धारा 294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. के अधीन अपराध के अभियोग से दं.प्र.सं. की धारा 320(8) के प्रावधानों के तहत दोषमुक्त किया जाता है एवं प्रकरण में स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति/मुद्देमाल कुछ नहीं
है।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर,
प्रकरण को व्यवस्थित कर समयावधि में अभिलेखागार में
जमा किया जावे।

(हरीश अग्रवाल)
सदस्य

(राकेश सिंह)
पीठासीन अधिकारी
खंडपीठ क्रं. 56 भितरवार
जिला ग्वालियर (म.प्र.)